न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 34/2020

GCMS NO. : 2020/00070

–:: प्रार्थी ::–

1. अमरसिंह पुत्र फेफसिंह जाति राजपूत निवासी घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. जेठूसिंह पुत्र शिवदानसिंह
2. शंकरसिंह पुत्र शिवदानसिंह
3. खुमानसिंह पुत्र शिवदानसिंह
4. हडमानसिंह पुत्र शिवदानसिंह
5. पन्नेसिंह पुत्र भीमसिंह
6. पूर्णसिंह पुत्र भीमसिंह
7. सुरजकंवर पुत्री भीमसिंह
8. धनुकंवर पुत्री भीमसिंह
9. फेफकंवर बेवा भीमसिंह
10. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
11. भैरूसिंह पुत्र भंवरसिंह
12. महेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
13. प्रेमकंवर बेवा भंवरसिंह
14. लक्ष्मणसिंह गोद पुत्र कलसिंह
15. अर्जुनसिंह पुत्र रेवतसिंह
    जातियान–राजपूत
16. भलाराम पुत्र नाथूराम
17. फाउराम पुत्र जीयाराम
    जातियान–गुर्जर
18. शिवसिंह पुत्र उदयसिंह
19. विक्रमसिंह पुत्र उदयसिंह
20. अनोपसिंह पुत्र उदयसिंह
21. मोहनकंवर बेवा उदयसिंह
22. नाहरसिंह पुत्र गुमानसिंह
23. प्रहलादसिंह पुत्र गुमानसिंह
24. श्यामसिंह पुत्र गुमानसिंह
25. भंवरकंवर पुत्री उदयसिंह
26. तेजकंवर पुत्री उदयसिंह
    जातियान–राजपूत
27. सुगनी पत्नी बक्साराम
28. समुडी पत्नी जयराम
29. [illegible]देवी पत्नी मल्लाराम
    जातियान–गुर्जर
30. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

31. पटवारी, पटवार हल्का घोडावड
तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 17/07/2020

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री महावीर सिंह उदावत एवं श्री सुनील सैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 23/12/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम घोडावड, पटवार हल्का घोडावड, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा, तहसील जैतारण, जिला पाली, राज0 में सायल एवं गैरसायलान की अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भमि खसरा नम्बर 135 रकबा 127 बीघा 11 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 131 रकबा 45 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 132 रकबा 10 बिस्वा गै0 मु0, खसरा नम्बर 133 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 134 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 155 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 156 रकबा 11 बिस्वा गै0 मु0, खसरा नम्बर 157 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 161 रकबा 09 बिस्वा गै0 मु0, खसरा नम्बर 162 रकबा 18 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 163 रकबा 08 बिस्वा किस्म गै0 मु0, खसरा नम्बर 164 रकबा 05 बिस्वा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 167 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा किस्म चाही सोयम की आई हुई है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार सायल एवं गैरसायलान मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करता आ रहा है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन गैरसायलान सायल के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं सायल की खन्दक मेडबन्दी [illegible] व पट्टियो को तोडफोड कर देते है एवं सायल को हर समय उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर सायल एवं गैरसायलान अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागाना [illegible] रहे है। खसरा नम्बर 135 की कृषि भूमि मे सायल आज से करीबन 15 वर्ष पूर्व अपने हक हिस्से की भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

चारो ओर पट्टीयां रोपकर तारबन्दी कर रखी है व जाली लगाई हुई है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 162 की कृषि भूमि में सायल ने अपने हक हिस्से की भूमि पर स्वयं के द्वारा ट्यूबवैल खुदाई हुई है तथा इसके चारो और जाली लगाई हुई है एवं पानी का एक होद बना हुआ है तथा पक्का कमरा बना हुआ है तथा लोहे का गेट लगा हुआ है तथा अन्य खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि जो सायल के हक हिस्से की है तथा जिस पर सायल काबिज है एवं काश्त करता चला आ रहा है उसके चारो और पट्टीयां रोपकर तारबन्दी की हुई है। उक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान् की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से सायल अपने हक हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतू बैंक से ऋण नहीं ले सकता तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं करवा सकता एवं अनेको प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड रहा है एवं अनेको प्रकार की कठिनाईयो तथा समस्याओ का सामना करना पड़ता है इसलिए सायल ने गैरसायलान् को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक हिस्से बंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाडा करवाने हेतू दिनांक 08/07/2020 को कहा तो गैरसायलान् स्पष्ट रूप इंकार हुए एवं गैरसायलान ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी क्रेता को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देंगे एवं सायल को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगे। यदि गैरसायलान अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं सायल को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी एवं सायल अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो तथा खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगा तथा अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगिया बढेगी। जिससे सायल खर्चे से जेरबार हो जायेगा। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि का सायल खातेदार काश्तकार होने से एवं सायल का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से सायल अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने के अधिकारी है तथा मौके पर सायल का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर माफिक मौके पर काबिज स्थिति अनुसार कब्जा काश्त होने से एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष में है यदि गैरसायलान बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है एवं सायल को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है तथा काश्त सम्बन्धित तमाम कार्य करने लगते है तो एवं कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग/उपभोग करते है एवं कच्चा-पक्का निर्माण करते है तो सायल को असीम हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् बढ़ेगी। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम घोडावड, पटवार हल्का घोडावड, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा, तहसील जैतारण, जिला पाली, राज0 में सायल एवं गैरसायलान की अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भमि खसरा नम्बर 135 रकबा 127 बीघा 11 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 131 रकबा 45 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 132 रकबा 10 बिस्वा गै0 मु0, खसरा नम्बर 133 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 134 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 155 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 156 रकबा 11 बिस्वा गै0 मु0, खसरा नम्बर 157 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 161 रकबा 09 बिस्वा गै0 मु0, खसरा नम्बर 162 रकबा 18 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 163 रकबा 08 बिस्वा किस्म गै0 मु0, खसरा नम्बर 164 रकबा 05 बिस्वा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 167 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा किस्म चाही सोयम में से सायल अपने हक हिस्से व बंट की भूमि जिस पर सायल मौके पर काबिज कारतू है में काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य खडाई, बुवाई, कटाई, निराई, गुडाई, सिंचाई आदि करे या करावे तो उसमे गैरसायलान उनके बाल-बच्चे, नोकर-चाकर, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार-नातेदार आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी एवं अडचन व्यवधान रोकटोड आदि न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे व जब तक उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा नही हो जाता तब तक गैरसायलान् उक्त संयुक्त सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि नही करे एवं सायल को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नही करे तथा उक्त कृषि भूमि को खूर्द बुर्द नही करें, परिवर्तन नही करे, कच्चा-पक्का निर्माण नही करे, मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखने बाबत् जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई इस्तदुआ सायल प्राप्त करने का अधिकारी हो तो दिलायी जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 01 से 14, 16, 18 से 31 को बार-बार रूक-रूक कर आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 15 व 17 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। अतः जवाब प्रा.पत्र बंद किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष राज[illegible]ना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान [illegible], 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष [illegible] किया। पत्रावली पर उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थी के वाद–पत्र मय दस्तावेजात एवं हस्तगत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेखीय दस्तावेजात यथा जमाबंदी संवत् 2073–76 ग्राम घोडावड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि अविभाजित संयुक्त सह–खातेदारी की भूमि है। साधारणतया अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि के संबंध में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अप्रार्थीगण/गैरसायलान वादग्रस्त आराजी में बतौर सह–खातेदार अभिलिखित है। ऐसे मामलों में बंटवाडा ही सर्वोत्तम उपाय है। प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहे है। अतः यह बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही अविभाजित सह–खातेदारी की आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। अभिलिखित सह–अभिधारियों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इन्हें अपने कृषि भूमि के उपयोग/उपभोग करने में निश्चित ही असुविधा कारित होगी। प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण अभिलिखित सह–अभिधारी है। सह–खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य सह–खातेदारान के विरूद्ध यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से वंचित होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपूरणीय क्षति का बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हो। अतः यह बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट देक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 23/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट देक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:38 IST
Reason: SelfAttested